

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-1895/11-सी- FP/UP/Road/157011/2022 लखनऊ, दिनांक: जनवरी 13, 2025
सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0-000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/157011/2022

संदर्भ- उ०प्र० शासन की पत्र सं०-2531/81-2-2024-800(260)/2024, दिनांक 19.12.2024
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 सपठित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 5 हे० से अधिक परियोजना प्रस्तावों हेतु गठित प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा दिनांक 09.01.2025 को समिति द्वारा पार्ट-1 एवं पार्ट-2 का परीक्षण कर अनुमोदन किया गया है।

भारत सरकार, नई दिल्ली की गाईड लाइन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्रस्तर-16 एवं पेज संख्या-12 में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:-

(16) The proposal involving forest land of more than five hectares, shall be forwrded by the Nodal officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project, Screening Committee's recommendation and the same shall also be forwarded to the regional office.

अतः उक्त प्रस्ताव का प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमति निर्गत करने हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

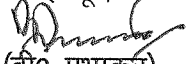
(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-1895/11-सी FP/UP/Road/157011/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला बिजनौर।


(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

दिनांक 09.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत "परियोजना जाँच समिति" की बैठक का कार्यवृत्त।

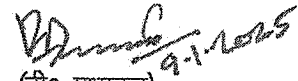
वन (संरक्षण) संशोधित नियम 2022 के अंतर्गत 05 हे० वन क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रस्तुत परियोजनाओं की पूर्णता की जाँच करने हेतु अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जाँच समिति की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "परियोजना जाँच समिति" की बैठक आहूत की गयी।

बैठक में चन्दौली/बदायूँ/सहारनपुर/अलीगढ़/बिजनौर/बरेली/जौनपुर से सम्बन्धित जिलाधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, परियोजनाओं से सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी एवं सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

बैठक में सम्मिलित किये गये प्रत्येक प्रस्तावों पर प्रकरणवार विस्तृत समीक्षा की गयी। परियोजना जाँच समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त इंगित की गयी कमियों एवं प्रकरणवार जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर इंगित की गयी कमियों को एक साथ दूर करते हुये पूर्ण प्रस्ताव संस्तुति सहित शीघ्र प्रेषित किये जाये। समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की प्रकरणवार स्थिति संलग्न है (संलग्नक-1 से 7)।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-1874/11-सी-PSC Meeting, लखनऊ, दिनांक: जनवरी, 09, 2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र), कानपुर।
2. वन संरक्षक, बरेली/सहारनपुर/अलीगढ़/मुरादाबाद/वाराणसी।
3. सदस्य सचिव/प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, बाराबंकी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी/बदायूँ/शिवालिक (सहारनपुर)/अलीगढ़/बिजनौर/नजीबाबाद/जौनपुर/बरेली।
5. जिला क्लेक्टर/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, चन्दौली/बदायूँ/सहारनपुर/अलीगढ़/बिजनौर/बरेली/जौनपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (रा०मा०)/नोडल अधिकारी, लो०नि०वि०, लखनऊ।
ई-मेल- cenh.up@gmail.com
7. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, पीडब्ल्यूडी, बदायूँ।
10. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला बिजनौर।
11. अधिशासी अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक, पी०आई०यू०, मोर्थ, प्रयागराज।
12. परियोजना निदेशक, पी०आई०यू०, एन०एच०ए०आई०, बदायूँ।
13. सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०, जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(बी० प्रभाकर)

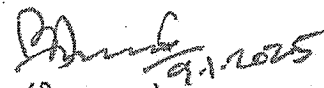
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-1874/11-सी-PSC Meeting, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
3. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

परियोजना जाँच समिति (PSC-I & II) की बैठक दिनांक-09.01.2025

Agenda No.-06

Online Proposal No.:- FP/UP/Road/157011/2022	Bijnor - 0.66 PF Nazibabad - 4.61 RF Total Area - 5.27 ha.
District Name:- Bijnor & Nazibabad	Division Name:- Bijnor & Nazibabad
User Agency Name- NHAI	

Proposal Name- Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauriroad in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 from Ch 0+000 to 5+900 under forest division Najibabad

अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जाँच समिति, उ०प्र०, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक में परीक्षणोपरान्त परिवेश 1.0 में अपलोड उपरोक्त ऑनलाईन पार्ट-1 एवं ऑनलाईन पार्ट-2 परियोजना जाँच समिति की सहमत से अनुमोदन किया गया।


(बी० प्रभाकर) 09-01-2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

ई-मेल द्वारा

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 1865/14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 10/01/2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय :-

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा०वा० प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27हे० संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (File No.- FP/UP / Road / 157011/2022)

सन्दर्भ :-

आपकी पत्र संख्या-1645/11-सी, दिनांक 20.12.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद ने अपनी पत्र संख्या-2116/4-1, दिनांक 10-01-2025 द्वारा विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-

1865/14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, उ०प्र०, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

9/

Download by Ema

कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, विजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद
पत्रांक 2116 / 4-1 दिनांक, नजीबाबाद 10 जनवरी, 2025

सेवा में

विषय:-

संदर्भ:-

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद का पत्र सं० 17296 दिनांक 10.01.2025 द्वारा विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर प्रेषित किया है।

अतः परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाइन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

संख्या 2116 / 4-1 उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2:- प्रभागीय निदेशक सा०वा० विजनौर वन प्रभाग विजनौर।
- 3:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद।

प्रभागीय वनाधिकारी
विजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद
10/1/25

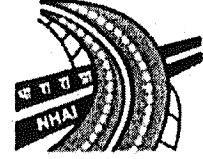
प्रभागीय वनाधिकारी
विजनौर
10/1/25

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन इकाई - नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad

P.O. 35/2, प्रधान बल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोटद्वारा रोड, नजीबाबाद, बिजनौर (20701) | H.No.-3A/2, 1st Floor, Siddhballi Vihar Colony, Kotdwar Road, Najibabad, Bijnor (UP)

दूरभाष/Phone : +91-1341-230162 | CUG : +91 8130006113 | ई-मेल/E-mail: piunajibabad@nhai.org

वेबसाइट /Website : www.nhai.org

NHAI/PIU-NBD/NH-119/77009/Forest (Bijnor)/KTW BYP/2023/17296 Dt.10.01.2025

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद, क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय: 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand under Bharatmala Pariyojna "Lot-4/Package-2."

- जनपद- बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna "Lot-4/Package-2." from Ch. 0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा०वा० प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Road/157011/2022)

संदर्भ:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 1874/11-सी-PSC Meeting, लखनऊ दिनांक 09.01.2025
2. कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद का पत्रांक 1772/14-1 दिनांक 03.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1772/14-1 दिनांक 03.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव परियोजना जांच समिति (PSC) में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जांच समिति की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से परियोजना जांच समिति की बैठक आहुत की गयी थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा पत्रांक 1874/11-सी-PSC Meeting, लखनऊ दिनांक 09.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया है। कार्यवृत्त के अनुसार विषयांकित प्रस्ताव अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जांच समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में आहुत समिति की बैठक में परीक्षणोपरान्त परिवेश 10 में अपलोड उपरोक्त पार्ट-1 एवं ऑनलाईन पार्ट-2 परियोजना जांच समिति की सहमति से अनुमोदन किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर प्रेषित करने का कष्ट करें।
सन्ध्यवाद!

भवदीय

(सरफराज-उर-रहमान)

परियोजना निदेशक

प०का०ई०-नजीबाबाद

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर व प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद को इस प्रकार कि उपरोक्त प्रस्ताव अग्रेत्तर स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।